भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1082

10.02.2025 को उत्तर के लिए

पीएम 2.5 के स्वास्थ्य प्रभावों पर लैंसेट रिपोर्ट

1082. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हाल ही में आई लैंसेट रिपोर्ट की जानकारी है, जिसमें पाया गया है कि भारत में होने वाली सभी मौतों में से 7.2 प्रतिशत मौतें दैनिक रूप से पीएम 2.5 के संपर्क में आने के कारण होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वायु प्रदूषण के क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रभावों, विशेष रूप से लगातार उच्च पीएम 2.5 स्तर वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से दिल्ली, का आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएम 2.5 के संपर्क में आने के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जन जागरूकता और शिक्षा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के लिए स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और चिकित्सा हस्तक्षेप को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और

(ङ) गरीब और कमजोर आबादी, जो वायु प्रदूषण से असमान रूप से प्रभावित है, के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य मंत्री :

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) सिर्फ वायु प्रदूषण के साथ मौत का सीधा संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक डेटा उपलब्ध नहीं है। वायु प्रदूषण श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियों और इससे संबंधित बीमारियों को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से एक है। स्वास्थ्य कई कारकों से प्रभावित होता है जिसमें पर्यावरण के अलावा व्यक्तियों की खान-पान की आदतें, व्यावसायिक आदतें, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, चिकित्सा संबंधी विवरण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आनुवंशिकता आदि शामिल हैं।

लैंसेट प्लैनेट हेल्थ जर्नल में प्रकाशित लेख 'भारत के दस शहरों में परिवेशी वायु प्रदूषण और दैनिक मृत्यु दर: एक आकस्मिक मॉडलिंग अध्ययन' सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करके किए गए अध्ययन पर आधारित था और इसकी सीमाओं का हवाला देते हुए कहा गया था कि यह अध्ययन कारण-विशिष्ट मृत्यु दर का विश्लेषण करने में असमर्थ था।

(ख) देश भर में दिल्ली सहित 20 चयनित शहरों में वायु प्रदूषण के परिणामस्वरूप मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल अध्ययन शुरू किया गया है।

(ग) सरकार ने वायु प्रदूषण के कारण होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में लोगों में जागरूकता और जानकारी बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, जिसमें पीएम2.5 स्तरों से होने वाला जोखिम भी शामिल है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत, 130 लक्षित शहरों में राज्य सरकार और नगर निगमों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए 'क्षमता निर्माण और सार्वजनिक आउटरीच (सीबीपीओ) कार्यक्रमों' संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, वायु प्रदूषण से संबंधित मिशन लाइफ़ कार्रवाइयों को राज्य और शहर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के साथ एकीकृत किया गया है ताकि नागरिक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपना सकें। साथ ही, जन जागरूकता बढ़ाने और वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु व्यापक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर स्वच्छ वायु दिवस का आयोजन किया जाता है।

सरकार ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लॉन्च किया, जिसके माध्यम से वायु गुणवत्ता की स्थिति के प्रभावी संचार के लिए पीएम2.5 सहित आठ प्रदूषकों के वायु गुणवत्ता डेटा को एकल संख्या में परिवर्तित किया जाता है। छह एक्यूआई श्रेणियां- अच्छा, संतोषजनक, मध्यम प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर हैं, और ये वायु प्रदूषकों की परिवेशीय सांद्रता और उनके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों पर आधारित हैं। 289 शहरों के लिए दैनिक एक्यूआई बुलेटिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट और समीर ऐप के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसीएच) तैयार की है और इसे योजनाबद्ध अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक कार्यकलापों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।:-

i. मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में सामान्य और संवेदनशील आबादी, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता पैदा करना;

ii. जलवायु में परिवर्तनशीलता के कारण स्वास्थ्य स्थितियों/रोगों से निपटने के लिए मौजूदा और भविष्य के स्वास्थ्य सेवा कार्यदल की क्षमता को सुदृढ़ करना;

iii. स्थितिजन्य विश्लेषण करके, स्वास्थ्य अनुकूलन योजनाओं को विकसित करके, निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करके, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर कम कार्बन,

संधारणीय और जलवायु अनुकूल स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना का निर्माण करके स्वास्थ्य तैयारियों और अभिक्रिया को सुदृढ़ करना;

iv. देश में जलवायु परिवर्तन कार्यसूची में स्वास्थ्य को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व मिले यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य मिशनों, क्षेत्रों और संगठनों के साथ साझेदारी विकसित करना और तालमेल बनाना; और

v. मानव स्वास्थ्य और इसके समाधानों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर साक्ष्य अंतराल को कम के लिए अनुसंधान और तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करना।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एनपीसीसीएचएच कार्यक्रम द्वारा स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को दूर करने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. एनपीसीसीएचएच ने वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों के लिए एक राष्ट्रीय "स्वास्थ्य अनुकूलन योजना" विकसित की है।

ii. वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2021 में तैयार की गई थी। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर अपनी राज्य कार्य योजना भी तैयार की है। इस राज्य विशिष्ट कार्य योजना में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट अध्याय शामिल है, जिसमें स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने संबंधी कार्यकलापों के बारे में बताया गया है।

iii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक वर्ष वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य मामलों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह जारी करते हैं ताकि लोगों को वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने, उनसे संरक्षित करने और निवानण करने के लिए - 'क्या करें और क्या न करें' के बारे में पता चले।

iv. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षेत्रीय भाषाओं सहित अंग्रेजी और हिंदी में आईईसी सामग्री (पोस्टर, ऑडियो और वीडियो) उपलब्ध कराई गई है ताकि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य हितधारकों सहित समुदाय में व्यापक जन जागरूकता पैदा की जा सके। बच्चों के लिए अलग से आईईसी विकसित की गई है।

v. वायु प्रदूषण और इसके स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में लोगों में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय दिवसों जैसे नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु संबंधी अंतरराष्ट्रीय दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए जाते हैं।

vi. वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) स्तर के संबंध में स्वास्थ्य समस्याओं की प्रवृत्ति को समझने में मदद के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चिह्नित प्रहरी अस्पतालों से वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों पर निगरानी की जाती है।

vii. एनपीसीसीएचएच ने वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किए हैं और एनपीसीसीएचएच के तहत कार्यक्रम अधिकारियों, स्वास्थ्य पेशेवरों और सामुदायिक स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और निगरानी नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

viii. वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य पेशेवरों और सामुदायिक स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण करना ताकि समुदाय सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी कार्य योजनाएं बनाई जा सकें।

ix. आईएमडी और सीपीसीबी द्वारा तैयार वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) अलर्ट और पूर्वानुमान समय पर कार्रवाई के लिए नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए जाते हैं।

उद्योगों को पर्यावरण प्रबंधन योजना और सीएसआर कार्यकलापों के कार्यान्वयन के माध्यम से परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास स्वास्थ्य सेवा संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करने का आदेश दिया गया है। ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत जारी पर्यावरण मंजूरी में इस संबंध में विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं।

*****